भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/62

विवि.एसओजी (डीईए निधि) संख्या 37/30.01.002/2025-26 25 जून 2025

महोदया / महोदय

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014 - संशोधित परिचालन दिशानिर्देश

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014, बैंकों द्वारा विभिन्न रिटर्न जमा करने सहित डीईए निधि में अंतरित राशि के हस्तांतरण और दावे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है।

2. वर्ष 2014 से बैंकों को परिचालन दिशानिर्देशों के रूप में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों को समेकित और युक्तिसंगत बनाने के लिए हाल ही में समीक्षा की गई है। संशोधित अनुदेश **अनुबंध** में दिए गए हैं।

3. यह अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं और डीईए निधि योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों, अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सार्वजनिक बैंकों सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर लागू हैं।

4. यह अनुदेश 1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(सुनील टी.एस. नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंज़िल, नरीमन भवन, विनय के शाह मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
Department of Regulation, Central Office, 12th Floor, Nariman Bhavan, Vinay K Shah Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021
Tel No: 91-22-22820703/69779409 E-mail: dea.fund@rbi.org.in

अनुबंध

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए - परिचालन दिशानिर्देश

1. ई-कुबेर प्रणाली में पंजीकरण की प्रक्रिया

सर्वप्रथम, बैंक को ई-कुबेर प्रणाली में डीईए निधि मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक को dea.fund@rbi.org.in के साथ दो ई-मेल आईडी साझा करनी होंगी। वह बैंक (गैर-सदस्य बैंक), जिसका ई-कुबेर प्रणाली में एक्सेस नहीं है, उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने प्रायोजक बैंक को दो ई-मेल आईडी देना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भविष्य में ई-कुबेर प्रणाली में पंजीकृत केवल उन दो ई-मेल आईडी पर ही संपर्क किया जाएगा। उपर्युक्त पंजीकरण प्रक्रिया बैंक के लिए अदावी राशियों को प्रेषित करने और ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डीईए निधि योजना (योजना) में परिभाषित रिफंड दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक पूर्वपिक्षा है। जिस बैंक ने अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उसे इसे शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था करनी होगी।

2. बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बैंक अपने डीईए निधि खाते को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं) की पहचान करेगा, जो डीईए निधि योजना के अंतर्गत लागू विवरण **(फॉर्म-I, फॉर्म-II और सुधार फॉर्म,** जैसा कि परिपत्र में आगे विस्तृत है) को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। बैंक, इस प्रयोजन हेतु अधिकृत निदेशक मंडल/एमडी और सीईओ/ईडी/कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किए गए संकल्प/निर्णय/प्राधिकार (केवल हिंदी या अंग्रेजी में) की प्रमाणित सत्य प्रति, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची, अर्थात् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित अधिकारियों (अधिकतम दस हस्ताक्षरकर्ता) के साथ, आरबीआई को प्रस्तुत करेगा। अधिकृत अधिकारियों में कोई भी परिवर्तन निर्धारित संशोधित प्रारूप (अनुबंध II) में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें संकल्प/निर्णय/प्राधिकार दोनों का विवरण और सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर शामिल होंगे। बैंक, किए गए परिवर्तनों की सूचना देते समय, केवल शामिल किए गए या हटाए गए नामों को प्रस्तुत करने के बजाय, सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और उनके नमूना हस्ताक्षरों का विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

3. अदावी राशि को निधि में अंतरित करने की प्रक्रिया

3.1 बैंक, योजना में निर्दिष्ट प्रत्येक कैलेंडर माह में देय राशि (अर्थात, 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों की आय तथा शेष अदावी राशि)) और अंतरण की तिथि तक ब्याज प्रदान करनेवाले खातों पर अर्जित ब्याज को, आगामी माह के अंतिम पाँच कार्य दिवसों के दौरान, डीईए निधि (निधि) में अंतरित करेगा। निधि में देय राशि

अंतरित करने से पहले, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उस तिथि तक उससे संबंधित सभी कानूनी दायित्व, जिनमें कटौती योग्य और देय करों से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं, पूरे हो गए हैं या उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

3.2 निजी खाता - सदस्य बैंक, "डीईए निधि सेवाएँ" मॉड्यूल के अंतर्गत ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देय राशि को निधि में अंतरित करेगा। जब कोई सदस्य बैंक निधि में देय राशि जमा कर रहा हो, तो उसे "बैंक डीईए निधि कोड" फ़ील्ड में अपना डीईए निधि कोड और जमाराशियों का विस्तृत विवरण (खातों की संख्या और राशि), जैसे ब्याज-धारित जमाराशियाँ, ब्याज-रहित जमाराशियाँ और अन्य क्रेडिट, जिसमें ब्याज-रहित राशि (अर्थात, योजना के अनुच्छेद 3(iii) में परिभाषित अदावी जमाराशियों के अलावा कोई अन्य राशि) भी शामिल है उन्हें, ई-कुबेर प्रणाली में इस हेतु दिए गए फ़ील्ड में प्रस्तुत करना होगा।

3.3 अन्य बैंक (गैर-सदस्य) का खाता - यदि कोई प्रायोजक बैंक अन्य गैर-सदस्य बैंकों की देय राशि अंतरित कर रहा है, तो वह ई-कुबेर में दिए गए फ़ील्ड में अन्य (गैर-सदस्य) बैंक के उपयुक्त बैंक डीईए निधि कोड को दर्शाकर, समेकित नहीं करेगा, बल्कि राशि को बैंक-वार अलग-अलग, निधि में अंतरित करेगा। उन्हें ई-कुबेर प्रणाली में संबंधित क्षेत्रों, अर्थात् उनके लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जमाराशियों का विस्तृत विवरण (खातों की संख्या और राशि), जैसे ब्याज-धारित जमाराशियाँ, ब्याज-रहित जमाराशियाँ और अन्य क्रेडिट के अंतर्गत प्रदान करना होगा।

4. अदावी राशि के अंतरण और दावा प्रस्तुत करने हेतु विंडो

4.1 अदावी राशि के अंतरण के लिए जमाराशि विंडो

ई-कुबेर के माध्यम से अदावी राशि/जमाराशियों को निधि में अंतरण करने की विंडो प्रत्येक माह के अंतिम पाँच कार्य दिवसों के दौरान ही खुली रखी जाएगी, और किसी बैंक (गैर-सदस्य बैंक सहित) को प्रति माह केवल एक बार अदावी राशि का अंतरण करने की अनुमति होगी। गैर-सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वे अदावी राशि/जमाराशि को अपने प्रायोजक बैंक (सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से) को नियत तिथि से पर्याप्त समय पहले अंतरित कर दें, ताकि प्रायोजक बैंक उसे ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से निधि में अंतरण कर सके। निधि में अंतरित राशि प्राप्त होने पर, ई-कुबेर प्रणाली से बैंक की पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वसृजित पावती रसीद सीधे भेजी जाएगी।

4.2 दावा प्रस्तुत करने हेतु दावा विंडो

ई-कुबेर प्रणाली में निधि से दावा प्रस्तुत करने की विंडो प्रत्येक माह के पहले 10 कार्यदिवसों के दौरान खुली रखी जाएगी। एक बैंक प्रति माह केवल एक समेकित दावा प्रस्तुत करेगा। गैर-सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रायोजक बैंक को देय तिथि से पर्याप्त समय पहले दावा प्रस्तुत करें, ताकि प्रायोजक बैंक ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से उसे आरबीआई को प्रस्तुत कर सके।

4.3 बैंक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर, निधि में देय अदावी राशि/जमाराशि को अंतरित करना होगा और दावे प्रस्तुत करने होंगे। बैंक को निधि में अंतरित/दावा की गई राशि की संशुद्धता भी सुनिश्चित करनी होगा।

5. धनवापसी (रिफंड) दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया - फॉर्म II

5.1 योजना के पैरा 4 (i) के अनुसार, किसी ग्राहक/जमाकर्ता, जिसकी अदावी राशि/जमाराशि निधि में अंतरित कर दी गई है, उनसे मांग प्राप्त होने पर, बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करेगा और उसके बाद, ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए निधि से धनवापसी का दावा प्रस्तुत करेगा। यदि ग्राहक/जमाकर्ता द्वारा केवल आंशिक राशि की धनवापसी का दावा किया जाता है, तो बैंक खाते को चालू स्थिति मे रखते हुए ग्राहक को तदनुसार भुगतान करेगा और शेष राशि (ब्याज सहित, यदि कोई हो) खाते में रखेगा, और उसके बाद निधि से पूरी राशि के लिए दावा प्रस्तुत करेगा। बैंक, आरबीआई द्वारा जारी बैंकों में निष्क्रिय खाते/दावा रहित जमाराशि - संशोधित अनुदेश पर दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.एसओजी (एलईजी).आरईसी/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

5.2 दावा प्रस्तुत करने पर, ई-कुबेर प्रणाली से एक स्वसृजित फॉर्म II (**अनुबंध IV**) बैंकों/गैर-सदस्य बैंकों की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। बैंक/गैर-सदस्य बैंक, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा प्रमाणित स्वसृजित फॉर्म II का प्रिंटआउट ई-मेल और/या डाक द्वारा आरबीआई को ई-कुबेर प्रणाली पर प्रस्तुत करने के तीन कार्यदिवसों के भीतर जमा करेगा। बैंक/गैर-सदस्य बैंक को, अर्ध-वर्ष/वर्ष के दौरान पहला दावा प्रस्तुत करते समय, दावा फॉर्म - फॉर्म II के साथ, नवीनतम अर्ध-वार्षिक फॉर्म III (समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र-**अनुबंध V**) और वार्षिक प्रमाणपत्र (**अनुबंध VI**) की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा बैंक के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.3 दावे की जाँच आरबीआई द्वारा की जाएगी। यदि दावा सही पाया जाता है, तो दावा की गई राशि उसी माह के अंत तक आरबीआई में अनुरक्षित सदस्य बैंक के खाते (गैर-सदस्य बैंक होने पर प्रायोजक बैंक के खाते में करेगा) में जमा कर दी जाएगी। दावा निपटान/अस्वीकृति की सूचना संबंधित बैंक को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। निधि से गैर-सदस्य बैंक को दावों का भुगतान करते समय, आरबीआई प्रायोजक बैंक के खाते में राशि जमा करेगा। प्रायोजक बैंक को इसे गैर-सदस्य बैंक में जमा करना आवश्यक है।

5.4 बैंक द्वारा **फॉर्म II** में दी गई जानकारी के आधार पर आरबीआई द्वारा दावों पर कार्रवाई की जाएगी। निधि से सही धनवापसी का दावा करने का दायित्व पूर्णतः बैंक पर होगा।

5.5 बैंक को **फॉर्म II** में धनवापसी दावों के मामले में ग्राहक-वार विवरण प्रदान करना आवश्यक नहीं है। उसे अपने बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा विधिवत प्रमाणित दावों का ग्राहक-वार विवरण अपने पास रखना होगा, जिसकी आरबीआई द्वारा बाद में/पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा ।

5.6 ग्राहकों को भुगतान करने से पहले आरबीआई के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 (यथासंशोधित) के अनुसार आवश्यक समुचित सावधानी भी बरतनी होगी । बैंक को ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुगम और कठिनाई रहित बनाते हुए दावों की वास्तविकता की पुष्टि करनी होगी ।

5.7 अदावीकृत ब्याज-धारित जमाराशियों पर देय ब्याज - निधि में अंतरित अदावीकृत ब्याज-धारित जमाराशियों की मूल राशि पर (किसी बैंक द्वारा अपने जमाकर्ताओं/दावेदारों को) देय ब्याज दर, यदि कोई हो, आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएगी, जैसा कि योजना के पैरा 4 (iii) में उल्लिखित है। अदावीकृत ब्याज-धारित जमाराशियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा देय ब्याज दरें (इस परिपत्र के जारी होने की तिथि तक) **अनुबंध IX** में दी गई हैं।

6. विवरणी प्रस्तुत करना

योजना के पैरा 5 के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित विवरणी निर्धारित की गई हैं।

6.1 फॉर्म I - मासिक विवरण

6.1.1 प्रत्येक माह के अंत में, ई-कुबेर प्रणाली प्रत्येक बैंक (गैर-सदस्य बैंकों सहित) का फॉर्म I (**अनुबंध III**) स्वसृजित करेगी और इसे उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजेगी, जिसमें वे बैंक भी शामिल हैं जिन्होंने कोई जमाराशियाँ अंतरित नहीं की हैं। बैंक (या उसके गैर-सदस्य बैंक की ओर से प्रायोजक बैंक) को फॉर्म I की सत्यता की पुष्टि करने के बाद उसे ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से आरबीआई को ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6.1.2 स्वसृजित **फॉर्म I** तभी मान्य होता है, जब बैंक (गैर-सदस्य बैंक के मामले में प्रायोजक बैंक) ई-कुबेर प्रणाली की स्क्रीन पर दो चेक-बॉक्स (ए) *"मैं सहमत हूँ"* और (बी) *"फॉर्म का बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित किया गया है"* पर चिन्ह लगाकर **फॉर्म I** में दर्शाए गए शेष से सहमत हो। यदि कोई बैंक (गैर-सदस्य बैंक के मामले में प्रायोजक बैंक) **फॉर्म I** में दिए गए शेष से सहमत नहीं है, तो उसे बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा विधिवत भरा और लेखापरीक्षित किया गया सुधारक फॉर्म (**अनुबंध VII**) आरबीआई को डाक और/अथवा ईमेल द्वारा जमा करना होगा।

6.2 सुधारक फॉर्म

बैंक को किए गए हस्तांतरणों/प्राप्त दावों के विवरण, जिसमें पुष्टिकरण संदेशों की प्राप्ति न होना भी शामिल है, इसके संबंध में **फॉर्म I** में देखी गई किसी भी विसंगति को तुरंत आरबीआई के ध्यान में लाना होगा। वह राशियों/जमाराशियां के हस्तांतरण और दावों की प्रतिपूर्ति में त्रुटियों के सुधार से संबंधित अनुदेशों **(अनुबंध VII)** को देख सकते हैं और दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा प्रमाणित, लागू सुधारक फॉर्म, ऐसी विसंगति की सूचना मिलने की तिथि से दो सप्ताह में आरबीआई को डाक और/अथवा ईमेल द्वारा प्रस्तुत कर सकता है।

6.3 फार्म III – समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र

6.3.1 बैंक, शेष राशि के स्वतंत्र और आवधिक सत्यापन के लिए, प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में, समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र (आरसी) –**फार्म III (अनुबंध V)** तैयार करना सुनिश्चित करेगा और अभिलेख में रखेगा। इसमें दो वरिष्ठ अधिकारियों अदावी जमाराशियों के हस्तांतरण और धन वापसी दावों से संबंधित अधिकारियों से अतिरिक्त, के हस्ताक्षर होंगे और बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। यह प्रमाणपत्र प्रमाणित करेगा कि बैंक के प्रधान खाताबही में दर्शाए गए शेष, आरबीआई के डीईए निधि खाते में दर्शाई गई राशि से मेल करते हैं। यह प्रमाणपत्र प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक महीने की अवधि, अर्थात् क्रमशः 30 अप्रैल और 31 अक्तूबर को, लेखापरीक्षक(कों) के प्रमाणीकरण के साथ तैयार और पूरा किया जाएगा। बैंक नोट करें कि अद्यतन छमाही आरसी **(फॉर्म III)** की एक प्रति आरबीआई को प्रस्तुत करना तब आवश्यक है, जब बैंकों द्वारा पहली छमाही का दावा किया जाता है और इसे **फॉर्म III** में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) की विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) अथवा आंतरिक दस्तावेज पहचान संख्या शामिल होगी।

6.3.2 डीईए निधि में शेष राशि के आंकड़ों में किसी भी प्रकार की विसंगतियों से बचाव के लिए, बैंक को अपने खातों में लेनदेन को वास्तविक आधार पर रिकॉर्ड/लेखा करना होगा, अर्थात आरबीआई द्वारा बनाए गए डीईए निधि से/में राशि के दावे/हस्तांतरण के निपटान से उपरांत।

6.4 सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक प्रमाणपत्र (एसी)

बैंक को अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से वर्ष के अंत में देय बकाया राशि का मदवार विवरण दर्शाने वाला एक वार्षिक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध VI)** में प्राप्त करना होगा। इसे आरबीआई को बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने की तिथि से एक महीने के भीतर, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के उपरांत नहीं, जिससे एसी संबंधित है, प्रस्तुत करना होगा। बैंक को उपर्युक्त निर्धारित समय में एसी, भले ही वह 'शून्य' विवरणी हो, आरबीआई को प्रस्तुत करना होगा। एसी के प्रारूप को संशोधित किया गया है और इसमें सांविधिक लेखापरीक्षक का यूडीआईएन अनिवार्य रूप से शामिल करना आवश्यक है।

6.5 विवरणी प्रस्तुत करने का तरीका

परिपत्र के पैरा 5 और 6 में विनिर्दिष्ट विवरणी, विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूलरूप में (जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो), जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, नरीमन भवन, विनय के शाह मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 को भेजा जाएं, साथ ही पीडीएफ प्रारूप में स्कैन की गई प्रति ईमेल द्वारा dea.fund@rbi.org.in पर भी भेजी जाए।

7. लेखापरीक्षा

7.1 निधि में राशि हस्तांतरित करने की तिथि में, बैंक को अपने लेखा परीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार विवरण रखना होगा, जिसमें ब्याज-वाली जमाराशियों पर उपचित ब्याज का अद्यतन भुगतान भी शामिल है, जो निधि में हस्तांतरण की तिथि तक जमा खाते में जमा किया गया है। बैंक को निधि में हस्तांतरित गैर-ब्याज वाली जमाराशियों और अन्य जमाओं के संबंध में ग्राहक-वार विधिवत लेखापरीक्षित विवरण रखना होगा। बैंक के लेखापरीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) को यह भी सत्यापित और प्रमाणित करना चाहिए कि बैंक की बही के अनुसार आरबीआई को प्रस्तुत मासिक और छमाही विवरणी में बैंक द्वारा विवरण सही ढंग से संकलित किए गए हैं।

7.2 उपर्युक्त विवरणी को वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी सत्यापित किया जाएगा।

8. संपर्क विवरण

बैंक को डीईए निधि योजना से संबंधित आरबीआई के साथ किसी भी पत्राचार के लिए निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध VIII)** में dea.fund@rbi.org.in पर ई-मेल द्वारा अद्यतन संपर्क विवरण (किसी भी परिवर्तन के मामले में) प्रस्तुत करना होगा।

9. लेखा टिप्पणियों में प्रकटीकरण

सभी अदावी देयताएं(जहाँ देय रकम निधि में अंतरित कर दी गई है) को वार्षिक वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के अंतर्गत *"आकस्मिक देयता - अन्य, वह मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है"* के रूप में दर्शाया जा सकता है। बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत निधि में अंतरित राशियों का भी प्रकटीकरण करना होगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशियाँ		
घटाएँ: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ		
डीईए निधि में अंतरित राशियों का अंतिम शेष		

10. निरसन प्रावधान

इन अनुदेशों के जारी होने से, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी **अनुबंध I** में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों/दिशा-निर्देश निरस्त कर दिया जाएगा ।

अनुबंध I

निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

क्र संख्या .	परिपत्र संख्या	विवरण	परिपत्र दिनांक
1.	बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.114 /30.01.002/2013-14	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश	27 मई 2014
2.	बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.123 /30.01.002/2013-14	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण	25 जून 2014
3.	बैंविवि.सं.डीईए फंड कक्ष.बीसी.49/30.01.002/2014-15	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क – ग्राहकों के संबंध में समुचित सावधानी	21 नवंबर 2014
4.	बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.105/30.01.002/2014-15	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश	18 जून 2015
5.	बैंविवि.सं.डीईए फंड कक्ष. 3044/ 30.01.002/ 2017-18	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश	27 सितंबर 2017
6.	बैंविवि.सं.डीईए फंड कक्ष. 1642/30.01.002 /2018-19	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – आंकड़ा प्रमाणपत्र (फॉर्म III) जमा करने की संशोधित समय-सीमा	27 अगस्त 2018
7.	बैंपविवि. डीईए फंड कक्ष.बीसी. सं.6700/ 30.01.002 /2018-19	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि(डीईए फंड) योजना, 2014 - वार्षिक प्रमाणपत्र जमा करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश	12 फरवरी 2019

अनुबंध II

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता(डीईए) निधि
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और नमूना हस्ताक्षर* के लिए संकल्प/निर्णय/प्राधिकार

बैंक का नाम ------------------------------------

डीईए निधि कोड--------------------------------

बोर्ड/एमडी और सीईओ/ईडी/कार्यकारी समिति का संकल्प/निर्णय/प्राधिकार (दिनांक, हस्ताक्षर और मुहर सहित)

प्राधिकृत अधिकारी (उपनाम) (प्रथम नाम) 1. 2.	
पदनाम 1. 2.	
प्रथम अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर 1) दूसरे अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर 1)	प्रथम अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर 2) दूसरे अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर 2)
द्वारा प्रमाणित सीजीएम/ईडी/ एमडी और सीईओ (हस्ताक्षर और बैंक की मुहर)	

*** बैंक को सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, केवल उन लोगों का नहीं जिन्हें नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है अथवा प्रतिस्थापित किया गया है। एक बैंक में अधिकतम 10 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हो सकते हैं।**

अनुबंध III

फॉर्म I

भारत में अदावी जमाराशियों/जमाओं/खातों/जिनका परिचालन नहीं किया गया है/ रिटर्न की तारीख को 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक /दावा नहीं किया गया है और डीईए निधि खाते में अंतरित किया गया है, का मासिक रिटर्न। **(अगले महीने की 15 तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक में ऑनलाइन जमा किया जाना है)**

बैंक का नाम ________________________________ **आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईए निधि कोड** ______

यदि प्रायोजक बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, तो प्रायोजक बैंक का नाम ______

माह ------------ **वर्ष -------------------------**

निधि अंतरण की तारीख

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	**ब्याज वहन करने वाली जमाराशियां**		**ब्याज रहित जमाराशियां**		**अन्य क्रेडिट (ब्याज रहित)**		**कुल**	
		(ए)		(बी)		(सी)		(डी)=(ए)+(बी)+(सी)	
		खातों की संख्या	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
1	महीने के आरंभ में निधि में अंतरित किए गए खातों का आरंभिक शेष ।								
2	खातों में समायोजन, यदि कोई हो, जो पूर्व में गलत रिपोर्ट किया गया हो और इस माह के दौरान सुधारा गया हो (सही और गलत आंकड़ों का निवल योग)।								

क्रम संख्या	विवरण	**ब्याज वहन करने वाली जमाराशियां**		**ब्याज रहित जमाराशियां**		**अन्य क्रेडिट (ब्याज रहित)**		**कुल**	
		(ए)		(बी)		(सी)		(डी)=(ए)+(बी)+(सी)	
		खातों की संख्या	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
3	इस माह के दौरान निधि में अंतरित किए गए खाते (पिछले माह में अनजाने में छोड़े गए और इस माह के दौरान अंतरित किए गए खाते, यदि कोई हों, सहित)								
4	इस माह के दौरान निधि से निपटाए गए दावे और प्राप्त धन वापसी (केवल मूल राशि का उल्लेख किया जाना है)।								
5	माह के दौरान निधि में अंतरित निवल राशि (**2 +3 - 4**)								
6	माह के अंत में निधि में कुल राशि .....(माह) 20..... **(1+5)**								

हस्ताक्षर: **नाम:**

अधिकारी का पदनाम (स्टाम्प के साथ): **टेलीफोन नंबर:**

स्थान: **तारीख:**

प्रमाण पत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार सत्य हैं और मेरे द्वारा सत्यापित हैं और सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:

बैंक के लेखा परीक्षकों का नाम (आंतरिक/समवर्ती) (स्टाम्प सहित):

अनुबंध IV

फॉर्म II

डीईए निधि से धन वापसी का दावा करने वाली मासिक विवरणी

1. बैंक का नाम:

2. आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईए निधि कोड --------------------------- **3. आरबीआई के पास चालू खाता @ ----------------------------------**

4 माह ---- 20--- के दौरान किए गए दावों का विवरण **(राशि रुपये में)**

ब्याज सहित जमाराशि				ब्याज रहित जमाराशि		अन्य क्रेडिट		कुल योग	
खातों की संख्या	मूलधन राशि	ब्याज राशि	कुल राशि	खातों की संख्या	मूलधन राशि	मूलधन राशि	कुल राशि	खातों की संख्या	मूलधन राशि
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(1)	(2)
कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल

@ कृपया अपने चालू खाते का खाता संख्या अथवा अपने प्रायोजक बैंक का चालू खाता संख्या बताएं, जो आरबीआई के पास है, जिसके माध्यम से आप उपर्युक्त धनवापसी दावा प्राप्त करना चाहते हैं।

नोट-. किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक/जमाकर्ता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। जमाकर्ता द्वारा आंशिक राशि की वापसी के लिए किसी दावे के मामले में, जिसकी अदावाकृत राशि/निष्क्रिय जमा राशि निधि में अंतरित कर दी गई थी, बैंक ऐसे जमाकर्ता के संबंध में निधि में अंतरित की गई संपूर्ण राशि के साथ-साथ निधि से देय ब्याज, यदि कोई हो, का दावा करेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे पहले डीईए निधि से नहीं किए गए हैं अथवा प्राप्त नहीं हुए हैं।

हस्ताक्षर :
प्रथम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):
स्थान: **दिनांक:**

हस्ताक्षर:
दूसरे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

प्रमाण पत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकार्ड के अनुसार सत्य हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं।
हस्ताक्षर:
बैंक के लेखा परीक्षकों का नाम (आंतरिक/समवर्ती) (मुहर सहित): पता: स्थान:
दिनांक :

अनुबंध V

<u>फॉर्म III – समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र</u>

[बैंक के लेखा परीक्षकों के पत्र शीर्ष पर]

सेवा में,

लेखापरीक्षित बैंक का पता

हम, (बैंक के लेखा परीक्षक [आंतरिक/समवर्ती] विवरण) जिन्हें आगे "बैंक के लेखा परीक्षक" के रूप में संदर्भित किया गया है, को (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त पते पर है, द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 और भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित परिपत्र - के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ------- को समाप्त छमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल रिटर्न ("विवरण") के विवरण वाले समाधान प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने का अनुरोध किया गया है।

i. दिनांक 25 जून 2025 का परिपत्र विवि.एसओजी (डीईए निधि) संख्या 37/30.01.002/2025-26

2. लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल विवरणी को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार बैंक द्वारा सही ढंग से संकलित किया गया है अथवा नहीं।

3. बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल किए गए फॉर्म I और फॉर्म II में मासिक विवरण की प्रति

बी. बैंक की शाखाओं द्वारा ग्राहकों को किए गए निपटान का विवरण

सी. बैंक की अन्य बहियाँ और अभिलेख

4. हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएँ निष्पादित की हैं:

(ए) फॉर्म I और फॉर्म II का सत्यापन

(बी) नमूना आधार पर ग्राहकों को किए गए निपटान के संबंध में शाखाओं से प्राप्त विवरण का सत्यापन

(सी) मार्च……. /सितंबर …….को समाप्त छमाही के लिए शेष राशि के समाधान से संबंधित विवरण की जांच की गई, जो निम्नानुसार है:

(कृपया या तो सी.i अथवा सी.ii प्रमाणित करें और जो लागू न हो उसे काट दें)

i. यदि शेष राशि मेल खाती है

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा डीईए निधि में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अंतरित अदावी जमा राशि, जैसा कि बैंक के सामान्य खाता बही में दर्शाया गया है, डीईए निधि में रखी गई शेष राशि से मेल खाती है, जैसा कि 31-03-......... अथवा 30-09-......... को आरबीआई के डीईए निधि मॉड्यूल से तैयार फॉर्म I में दर्शाया गया है।

ii. यदि शेष राशि मेल नहीं खाती है

हमने पाया कि, बैंक के सामान्य खाता बही में दिनांक 31-03------- /30-09- ------- को दर्शाए गए अदावी जमा राशि का शेष रु. .... है, आरबीआई के डीईए फंड मॉड्यूल से उत्पन्न फॉर्म I में दर्शाए गए अनुसार डीईए निधि में रखे गए शेष में दर्शाए गए अदावी जमा राशि का शेष रु. 31-03----- /30-09- ---- को रु. .... है।

(डी) सत्यापित किया गया है कि विवरणियों को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार सही ढंग से संकलित किया गया है।

5. 31-03-........./30-09-......... की स्थिति के अनुसार बैंक की बहियों में दर्शाई गई डीईए निधि का शेष-.........निम्नानुसार है

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्तमान छमाही 31-03-वर्ष / 30-09-वर्ष	पिछला वर्ष 31-03- वर्ष / 30-09-वर्ष
1 .	01-04-वर्ष/ 01-10-वर्ष को डीईए निधि का प्रारंभिक शेष		
2.	जोड़ें: वर्ष ------- की छमाही के दौरान डीईए निधि में अंतरित की गई राशि।		
3.	घटाएँ: वर्ष ------ की छमाही के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि।		
4.	31-03-वर्ष / 30-09- वर्ष (1+2-3) को डीईए निधि अंतिम शेष (Closing balance)		

6. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार **बैंक*** **द्वारा डीईए निधि विवरण/प्रमाणपत्रों को सही ढंग से संकलित किया गया है/सही ढंग से संकलित नहीं किया गया है**।

7. यह प्रमाण पत्र पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पंजीकरण संख्या (एफआरएन) और मुहर के साथ बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक / समवर्ती) के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक :
यूडीआईएन / आंतरिक दस्तावेज़ पहचान संख्या:

बैंक अधिकारियों का विवरण (फॉर्म II के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अलावा):

	प्रथम अधिकारी	दूसरा अधिकारी
बैंक की मुहर के साथ हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम		
स्थान		
दिनांक		

* जो लागू न हो उसे काट दें

अनुबंध VI

<u>वार्षिक प्रमाणपत्र</u>

[सांविधिक लेखा परीक्षकों के पत्र शीर्ष पर]

लेखापरीक्षित बैंक का पता

हमें, (सांविधिक लेखा परीक्षक की फर्म का विवरण) जिन्हें आगे "सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक" संदर्भित किया जाएगा, (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त पते पर है, द्वारा अनुरोध किया गया है कि हम जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 और भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित परिपत्र के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल ("विवरण") के विवरण वाले वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करें —

i. विवि.एसओजी (डीईए निधि) सं.37/30.01.002/2025-26 दिनांक 25 जून 2025

2. लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल विवरण जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार बैंक द्वारा सही तरीके से संकलित किया गया है या नहीं।

3. बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं:

बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल फॉर्म I और फॉर्म II में मासिक रिटर्न की प्रतिलिपि

ए) बैंक की शाखाओं द्वारा ग्राहकों को किए गए निपटान का विवरण

बी) बैंक की अन्य बहियां तथा अभिलेख और

सी) लिखित अभ्यावेदन

4. हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं:

ए) सत्यापित फॉर्म I और फॉर्म II

बी) नमूना आधार पर ग्राहकों को किए गए निपटान के संबंध में शाखाओं से प्राप्त सत्यापित विवरण

सी) यह सत्यापित किया गया कि अर्धवार्षिक समाधान प्रमाणपत्र (फॉर्म III) समय पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं

डी) यह सत्यापित किया गया कि रिटर्न को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार सही ढंग से संकलित किया गया है।

5. 31.03.---- को बैंक की बहियों में डीईए निधि का शेष निम्नानुसार है

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष 31.03.----**	**पिछले वर्ष 31.03.----**
1 .	01.04.----वर्ष को डीईए निधि का आरंभिक शेष		
2.	**जोड़ें:** ---- वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि		
3.	**घटाएँ:** ---- वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
4.	31.03.----वर्ष को डीईए निधि का अंतिम शेष (1+2-3)		

6. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, बैंक प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार बैंक* द्वारा डीईए निधि रिटर्न/प्रमाणपत्रों को सही ढंग से संकलित किया गया है/सही ढंग से संकलित नहीं किया गया है।

7. यह प्रमाणपत्र केवल आरबीआई को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

फर्म के पंजीकरण संख्या (एफआरएन) और मुहर के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के हस्ताक्षर

स्थान:
तारीख:
यूडीआईएन:

*जो लागू न हो उसे काट दें

अनुबंध -VII

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि - त्रुटियों का सुधार –
जमा/राशि अंतरण और दावा प्रतिपूर्ति

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि से संबंधित परिचालनों की सटीकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करें:

1. त्रुटियां रोकने के लिए, बैंक को प्रविष्टियों के प्रसंस्करण हेतु सभी जमा और दावा प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए मेकर-चेकर प्रक्रिया को लागू करना होगा।

2. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीईए निधि से संबंधित सभी प्रविष्टियों के प्रस्तुतीकरण से पहले और बाद में लेखा परीक्षा की जाए तथा उन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

3. बैंक के लिए डीईए निधि के लिए एक उपयुक्त आंतरिक परिचालन प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। इसमें त्रुटि निवारण तंत्र और सुधार प्रक्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।

4. बैंक को अपने सुधार अनुरोध निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:
   (i) फॉर्म ए : जमा संबंधी सुधार - कुल जमा राशि सही है, लेकिन ब्याज सहित (आईबी)/ब्याज रहित (एनआईबी)/अन्य क्रेडिट (ओटीएच) के अंतर्गत खातों या राशियों में परिवर्तन हुआ है
   (ii) फॉर्म बी: जमा संबंधी सुधार - कुल जमा राशि गलत है
   (iii) फॉर्म सी: दावे से संबंधित सुधार

5. दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक/समवर्ती) द्वारा प्रमाणित लागू सुधारक फॉर्म, ऐसी विसंगति की पहचान होने के दो सप्ताह के भीतर आरबीआई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. इन अनुरोधों की सटीकता सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी है।

7. बैंक को किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत आरबीआई को देनी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
   (i) त्रुटि के विशिष्ट कारण।
   (ii) पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्यान्वित जांच और नियंत्रण का विवरण।
   (iii) आश्वासन कि ऐसी त्रुटियां दोबारा नहीं होंगी।

फॉर्म ए

जमा से संबंधित सुधार जहां कुल जमा राशि सही है लेकिन ब्याज सहित (आईबी) / ब्याज रहित(एनआईबी) / अन्य क्रेडिट (ओटीएच) के तहत खातों या राशियों में परिवर्तन हुआ है

बैंक का नाम:

डीईए निधि कोड:

ए. वास्तविक अंतरित (खाता और राशि) का विवरण (स्वतः जनित फॉर्म-I के अनुसार):

	ब्याज सहित		**ब्याज रहित**		**अन्य क्रेडिट**		**कुल**	
जमा करने की तारीख	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**

बी. सही आंकड़ों का विवरण:

	ब्याज सहित		**ब्याज रहित**		**अन्य क्रेडिट**		**कुल**	
जमा की तारीख	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**

सुधार का कारण:

हस्ताक्षर:
प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

हस्ताक्षर:
दूसरे हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान:
तारीख:
प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकार्ड के अनुसार सही हैं और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
बैंक के लेखा परीक्षकों का नाम (आंतरिक/समवर्ती) (मुहर सहित):

फार्म बी

जमा से संबंधित सुधार जहां कुल जमा राशि गलत है

बैंक का नाम:

डीईए निधि कोड:

ए. अंतरित वास्तविक जमा (खाता और राशि) का विवरण (स्वतः जनित फॉर्म-I के अनुसार):

	ब्याज सहित		**ब्याज रहित**		**अन्य क्रेडिट**		**कुल**	
जमा करने की तिथि	**खातों की संख्या**	**राशियां**	**खातों की संख्या**	**राशियां**	**खातों की संख्या**	**राशियां**	**खातों की संख्या**	**राशियां**

ए. बैंक द्वारा वापस दावा की गई अतिरिक्त जमा राशि (खाता और राशि) का विवरण (फॉर्म-II):

	ब्याज सहित			**ब्याज रहित**		**अन्य क्रेडिट**		**कुल**	
दावे के भुगतान की तिथि	**खातों की संख्या**	**मूल धन**	**भुगतान किया गया ब्याज**	**खातों की संख्या**	**राशियां**	**खातों की संख्या**	**राशियां**	**खातों की संख्या**	**राशियाँ**

सुधार का कारण:

हस्ताक्षर:
प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

हस्ताक्षर:
दूसरे हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान:
दिनांक:

प्रमाण पत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकार्ड के अनुसार सत्य हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
बैंक के लेखा परीक्षकों का नाम (आंतरिक/समवर्ती) (मुहर सहित):

फार्म सी

दावे से संबंधित सुधार

बैंक का नाम:

डीईए निधि कोड:

ए. वास्तविक, सही और अतिरिक्त दावे का विवरण:

		ब्याज सहित			ब्याज रहित		अन्य क्रेडिट		कुल	
	दावे के भुगतान की तिथि	खातों की संख्या	मूल धन	भुगतान किया गया ब्याज	खातों की संख्या	राशियां	खातों की संख्या	राशियां	खातों की संख्या	राशियां
वास्तविक दावा										
सही दावा										
अतिरिक्त दावा										

बी. चालू माह में नियमित जमा के साथ भेजे गए अतिरिक्त दावे का विवरण:

		ब्याज सहित		ब्याज रहित		अन्य क्रेडिट		कुल	
	जमा करने की तिथि	खातों की संख्या	राशियां	खातों की संख्या	राशियां	खातों की संख्या	राशियां	खातों की संख्या	राशियां
चालू माह के लिए नियमित जमा									
अतिरिक्त दावा जो वापस लौटा दिया गया **									
कुल जमा									

**नोट: अतिरिक्त दावे (ए में) में चुकाए गए ब्याज को ब्याज वहन करने वाली राशि (बी में) में वापस किए गए अतिरिक्त दावे के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सुधार का कारण:

हस्ताक्षर:
प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

हस्ताक्षर:
दूसरे हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान:
दिनांक:

प्रमाण पत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकार्ड के अनुसार सत्य हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
बैंक के लेखा परीक्षकों का नाम (आंतरिक/समवर्ती) (मुहर सहित):

अनुबंध VIII

डीईए निधि योजना, 2014 से संबंधित पत्राचार/प्रश्नों के लिए संपर्क विवरण

बैंक का नाम-----------------------------------

बैंक डीईए निधि कोड संख्या **-------------------------------**

क्र सं	**विवरण**	**संपर्क अधिकारी**	**वैकल्पिक अधिकारी**
1	संपर्क अधिकारी का नाम		
2	पदनाम		
3	टेलीफ़ोन सं.		
4	मोबाइल सं		
5	ईमेल आईडी		

उपर्युक्त विवरण ई-मेल द्वारा dea.fund@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं।

Name:

हस्ताक्षर:
अधिकारी का पदनाम:
बैंक का नाम:
स्थान:
पता:
दिनांक:

(बैंक की मुहर)

अनुबंध IX

ब्याज वाली जमा राशि पर देय ब्याज दरें

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित ब्याज युक्त जमाराशियों पर देय ब्याज की गणना बैंकों द्वारा नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट ब्याज दरों के अनुसार की जाएगी:

अवधि	**ब्याज दर**	**परिपत्र संदर्भ**
30 जून 2018 तक	4 प्रतिशत प्रति वर्ष (साधारण ब्याज)	दिनांक 26 जून 2014 का डीबीओडी.सं.डीईएएफ़सेल.बीसी.126/30.01.002/2013-14
1 जुलाई 2018 से 10 मई 2021 तक	3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष (साधारण ब्याज)	दिनांक 07 जून 2018 का डीबीआर.डीईएनिधिकक्ष.बीसीसं.110/30.01.002/ 2017-18
11 मई 2021 से	3 प्रतिशत प्रति वर्ष (साधारण ब्याज)	दिनांक 11 मई 2021 का विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22

इस संबंध में देय ब्याज की राशि की गणना योजना के पैरा 4 (ii) में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी और ब्याज की राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।